Bundelkhand Journal of Academic Research

सहकारी विकास के संदर्भ में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

विमलेश कुमारी[1], डॉ. रश्मि पाण्डेय[2]

1. **शोधार्थिनी,** समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात
2. **शोध पर्यवेक्षिका एवं असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात।

(**Corresponding Author:** vk9411436974@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425066

सारांश

देश में सहकार से खुशहाली उन्नति समृद्धि के विजन को साकार बनाने हेतु 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो विभिन्न जिलों के क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक के परिवर्तन में केन्द्रीय भूमिका निभाई है। सहकारिता के माध्यम से डेयरी, महस्यपाल, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा विक्री, डिजिटल सक्षम, बहु क्षेत्रीय संस्थाओं के रूप में फैक्स, महिला किसानों हेतु सतत आय, गरीबी उन्मूलन सभी मॉडल एक सदस्य एक बोट के लोकतांत्रिक सरचना के समावेशी शासन हेतु लाभकारी है जो महिलाओं, युवाओं वंचित समूह समुदायों को मुख्य धारा से जोडने का हर सम्भव प्रयास किया है, ताकि युवा वर्ग को सहकारिता से रोजगार मिले, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढे, वहीं अधिक से अधिक जिलों में उद्यमिता बढे, स्थानीय जरूरतों के साथ कौशल विकास से महिला सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता निर्डरता के साथ रखे, सरकार से ऐसे सहकारी विकास की उम्मीद है। नारी की उन्नति से देश की उन्नति निर्भर है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थिनी द्वारा सहकारी विकास के क्षेत्र में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 20 सितंबर, 2025	**स्वीकृत:** 10 नवंबर, 2025	**प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025
सारणी: 03	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 15
मुख्य शब्द:	सहकारी विकास, समिति, औरैया, दलित, महिला, प्रस्थिति, सहकारी योजनाएं।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : यह भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। जहाँ शादियों से महिलाओं को असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। जाति भेदभाव, छुआ–छूत, लैगिंक भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताओं, परम्पराओं की लाचारी, जागरुकता की कमी आदि से ग्रसित अनेकों समस्याओं ने दलित महिलाओं के जीवन को सीमित कर ऐसे मोड पर लाकर खडा कर दिया, जहाँ इनकी प्रस्थिति तीसरे पायदान पर होकर रह गई। हॉक्स का कहना है कि ''असमानता की जगह समानता हो और शक्ति एवं प्राधिकारों का असमान स्तर समाप्त हो, तभी महिला समाज की उन्नति होगी'' पर सरकार द्वारा चलाय गए सहकारी विकास से संबंधित अनेको योजनाओं ने दलित महिलाओं के जीवन को निखारने, संवारने उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जाति प्रस्थिति को उच्च बनाने में भूमिका निभाई जा रही है, बल्कि उनको सशक्त कर खुशहाल जीवन के भावी रास्ते दिखाये। भाग्य लक्ष्मी के अनुसार ''सहकारी विकास नीति ने महिलाओं की धारणाओं और जकरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं तथा सहकारी समितियों को विकसित कर उनका विकास एवं प्रस्थिति को मजबूत किया है।'' सहकारी विकास जनपद की दलित महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यम उद्यमकारी, कुषल गृहणी बनाने के साथ ही समानता, स्वतन्त्रता सहकारी समितियों में भागीदारी तथा जाति प्रस्थिति को सुधारने का पूर्ण अवसर दिते हुए उन्हे महिला सशक्तिकरण का ज्ञान कराया है।

1.1. शोध अध्ययन के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. प्रस्तुत शोध द्वारा दलित महिलाओं को सरकारी विकास समिति के बारे में जानकारी कराना।
2. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में प्रस्थिति को ज्ञात करना।

3. दलित महिलाओं में सहकारी विकास की आवश्यकता का विश्लेषण करना।

1.2. शोध अध्ययन क्षेत्रः देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला औरैया जो 17 सितम्बर 1997 को औरैया और विधूना दो तहसीलों को इटावा से अलग करके औरैया को नया जिला बनाया गया जिसमें अजीतमल तहसील को बाद में जोडा गया, यह जिला राष्ट्रीय राज्य मार्ग से जुड़ा होने से देश भर के स्थानों को जोडता है मराठा काल मुगल कालएवं अंग्रेजों से आन्दोलन कर सालों से इतिहास में पहचान बनाये हुए है और यहाँ समय–समय राज्य सरकारों द्वारा सहकारी विकास समितियों के वार में जानकारी एवं रोजगार से लाभ दिलाने के प्रयास किये जाते रहे हैं।

1.3. आंकडों का संग्रहः प्रस्तुत शोध पत्र में जिले के सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की प्रस्थिति को समझकर व जानकारी करके इसमें वर्णानात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है जो परिणाम प्राप्त हुये हैं, वे तत्थों के संकलन पर आधारित हैं।

2. आकंडों का विश्लेषण एंव परिणाम :

2.1. सहकारी विकास की अवधारणाः सहकारी विकास एक ऐसी प्रक्रियां है जिसके द्वारा लोग आपसी सहयोग एकजुटता और सामूहिक प्रयासों सदस्यों में आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आत्मनिर्भर महिला शसक्तीकरण के लिये सहकारी संस्थाओं का निर्माण और मजबूतीकरण के साथ ही समान अवसर देने वाली एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। माननीय मोदी जी ने कहा कि ''भारत के लिए सहकारी समितियां संस्कृति का आधार है जीवन शैली है।''(6) सहकारी समितियां जनसमाज को स्वरोजगर देने में अपनी अहम भूमिका निभाने का पूर्ण प्रयास करती है।

2.2. सहकारी विकास के क्षेत्रः सहकारी विकास वह क्षेत्र है जिसके द्वारा योजनाओं व समितियों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक लोकाचार को बनाये रखने हेतु सदस्यों में सामूहिक कार्य करने की इच्छायें एवं समन्वय की भावना से उत्पादन में बढ़ोत्तरी स्वलभ रोजगार मिलने से स्त्री–पुरुषों की उन्नति से ही पूरे देश की उन्नति सम्भव है। प्रस्तुत शोध पत्र में सहकारी विकास के निम्न क्षेत्रों को तालिका न–1 में दर्शाया है।

तालिका न.1
सहकारी विकास के क्षेत्र में

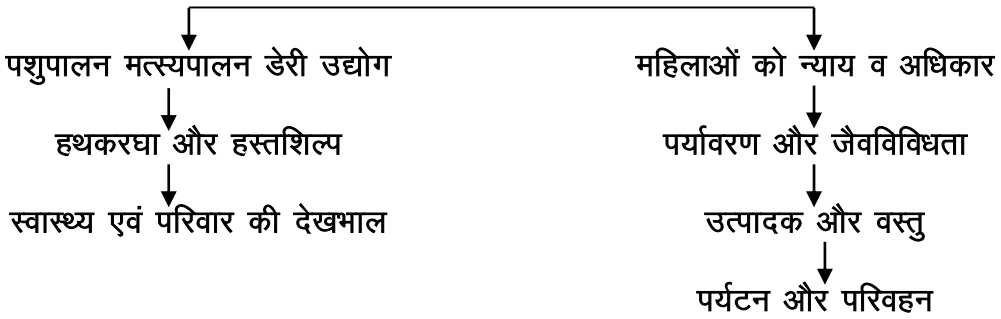

सहकारी विकास विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर से महिलाओं एवं पुरुषों को सामंजस्य और सामाजिक बंधन रहित गहनता के साथ जमीनी तौर से वस्तुओं एवं सेवाओं को देने की इसमें अपार क्षमता मौजूद है।

2.3. सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की जनपद में प्रस्थितिः लम्बे समय से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सहकारी विकास के कार्यों में भागीदारी, सांस्कृतिक आदि दशाओं में असमान स्थिति का सामना करती आ रही हैं, वहीं इस जटिल स्थिति को सुधारने में सहकारी विकास ने समाज में समान अधिकार व आत्मनिर्भर बनने हेतु अनेकों सहकारी समितियों, योजनामों ने महिलाओं को आगे बढ़ने एवं प्रस्थिति सुधारने का पूर्ण मौका दिया हैं।

2.4. जनपद में सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की भागीदारीः महिलाओं की सूझ बूझ कर्त्तव्य निष्ठा मान मर्यादा आर्थिक श्रम शक्ति, कानूनी, प्रशासनिक जानकारी, पारवारिक जिम्मेदारी की बुद्धिमत्ता एवं परिश्रम करने की क्षमता हर क्षेत्र में अग्रणी होने के बाद भी महिलाओं की संख्यां सहकारी विकास के क्षेत्र में न के बराबर है जबकि आधी आबादी महिलाओं की है। औरैया जनपद में दलित महिलाओं की भागीदारी सहकारी निकास के क्षेत्र में निम्नवत है, इसे तालिका न.–2 के द्वारा समझाया गया है।

भारत सरकार ने महिला केन्द्रित सहभागी नियोजन द्वारा स्थानीय सहकारी विकास ने महिला एवं दलित महिला वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा किया है, लेकिन सत्यता यह है कि दलित महिलाओं को इसकी न तो जानकारी है न ही उन्हे सहकारी समितियों की योजनाओं का लाभ मिल पाता है।

तालिका न.–2: जनपद में सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की भागीदारी

क्रम	सहकारी विकास के क्षेत्र	उत्पादन कार्य क्षेत्र	भागीदारी
1.	स्वरोजगार महिला संघ	डेरी उत्पादन, लिज्जत पापड, मोमवती गृह अधारित उत्पादन।	30 प्रतिशत
2.	स्वयं शक्ति सहकार योजना	स्वयं सहायता समूहों से बैंक ऋण की सुविधा में कार्य शील पूंजी ऋण।	16 प्रतिशत
3.	नंदनी सहकार योजना	महिलाओं को सहकारी समितियां व्यवसाय के लिये 2 प्रतिशत ब्याज की छूट दर पर दीर्घकालिक ऋण देती है।	12 प्रतिशत
4.	पशुपालन परियोजना	महिलाओं को सहकारी समितियों से बैंक मित्र के रूप में नामितत्या ऋण की सुविधा।	18 प्रतिशत
5.	आयुष्मान एवं वित्तीय समावेशन	महिला सहकारी विकास में ऋण बीमा, आवास, स्वास्थ्य बैकिंग की सुविधा।	25 प्रतिशत

2.5. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में सामाजिक प्रस्थितिः सहकारी विकास समितियों ने समाज के सभी वर्गो की समान अवसर महिला स्वरोजगार, सामाजिक न्याय को बढाना एवं महिला लैगिंक असमानताओं को दूर कर समाज को एक नई राह दी है। लेकिन जनपद की दलित महिलाओं को आज भी काफी हद तक जाति भेदभाव तथा कार्य क्षेत्रों में असमान कार्य वितरण का सामना करना पड रहा है। जिसकी वजह से इनकी सामाजिक स्थिति अभी दो राहे पर है।

2.6. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में आर्थिक प्रस्थितिः सहकारी विकास द्वारा स्वरोजगार समूहों ने महिलाओं के आर्थिक विकास तथा आय में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि करके कौशल विकास के नये अवसर देकर उन्हें कढाई–बुनाई एवं हस्त–शिल्प के क्षेत्र में रोजगार देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन जिले की जानकी देवी का कहना है कि ''हम लोगों को कौशल विकास की न जानकारी और न कोई प्रशिक्षण दिया गया तो लाभ कहा से मिल पायेगा।'' दूरदराज असंगठित क्षेत्रों में रहने वाली दलित महिलाएं कौशल विकास के लाभों से गरीबी एवं अज्ञानता के कारण वचिंत है, यही सब कारक उनकी आर्थिक स्थिति को निम्नता की ओर ले जाने में जिम्मेदार हैं।

2.7. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में शैक्षिक प्रस्थितिः श्रीमती पाटिल ने कहा कि ''मैं पूरी तरह से नारी शिक्षा में प्रतिबद्ध हूँ और यह भी इच्छा है कि स्त्री–पुरुष, लडका–लडकी कोई भी आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि राष्ट्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी''। वहीं भारत में सहकारी विकास के क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अभी सुधार की प्रक्रिया में है। जमीनी हालत में ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत व रुढिवादी विचारधारा सदियों से गहरी जडे जमाये हुये हैं जिससे अनेकों समस्याएं महिला शिक्षा में बाधाएं डालती आती आ रही हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

3. जनपद की दलित महिलाओं को सहकारी विकास के क्षेत्र में आ रहीं बाधाएः कपूर प्रमिला ने कहा कि ''विकास के क्षेत्र में महिलाओं के सामने पारम्परिक सोच, ज्ञान कौशल की कमी, आर्थिक कमजोरी जैसी कठिनाइयों का सामना करना आम बात हो गई है।'' दलित महिलाओं की उन्नति में परम्परागत सोच तो रुकावट बनती है, साथ ही परिवार का समर्थन न मिलना निम्न जाति का होना कमजोर वित्तीय सम्पर्क आदि भी आडे आता है। यहाँ तक कि यह माना जा रहा है कि भारत में लगभग 50 प्रतिशत सहकारी समितियां निष्क्रिय है। इसकी वजह से सीमित बाजार, संस्थागत समर्थन, प्रशिक्षण की कमी और छोटी समितियां अपर्याप्त वित्त संसाधनों से जूझ रही हैं, तभी महिलाओं को उत्पादन तथा विकास के क्षेत्र में कई जटिल समस्याझों का सामना करना पड़ता है। इन तथ्यों को तालिका नं–3 के द्वारा समझाया गया है।

आधुनिक सभ्य शिक्षित समाज में पढ़ी लिखी महिला को भी उत्पादन व उत्पादन के विकास में कई जघन्न परिस्थितियों का आये दिन सामना करना पड़ता है।

तलिका–3: जनपद की दलित महिलाओं के सामने सहकारी विकास के क्षेत्र में बाधाएं

संरचनात्मक और सांस्कृतिक बाधाएं	→	सामाजिक मानदण्ड स्वच्छता, सामाजिक निगरानी आत्मविश्वास की कमी, कानूनी एवं स्वहित अधिकारों की जानकारी की कमी
उत्पादन की गुणवत्ता में बाधाएं	→	समय की कमी, अधिक अवैतनिक श्रम, मशीनों व उपकरणों की कमी, निम्न बाजार, बाजार प्रतिस्थिति
बाजार की जानकारी में कमी	→	उच्च निरक्षरता, भाषा की समस्यां, सूचना केन्द्रों की कमी, सही वस्तु मूल्य की जानकारी का अभाव
कौशल विकास में बाधाएं	→	प्रशिक्षण की कमी, अनुभव की कमी नेतृत्व की भूमिका में कमी
परिवहन और आधार भूत संरचना में बाधाएं	→	परिवहन साधनों की कमी, खराब सडक संरचना अधिक भाडा लगना, सरकारी किराया की बढोत्तरी

4. जनपद की दलित महिलाओं में सहकारी विकारत के प्रति जागरुकता: देश के प्रत्येक प्रदेश, जिले में कार्य कर रही सहकारी समितियों को सशक्त बनाकर व कार्य सुनियोजित करके महिलाओं को सहकारी समितियों के प्रति जागरूक करना सरकार की अहम भूमिका है। और सुरू की गई सहकारी विकास समितियो से कौशल विकास, बाजार व्यवस्थाएं एवं संस्थागत वित्तीय सहायता इन सभी में महिलाओं की भागीदारी बढाने उन्हें लाभ हेतु प्रेरित करना ताकि इनका मन सहकारी विकास समितियों के कार्यों में लग सके, साथ ही वे जागरुक हो। अभी आधे से ज्यादा दलित महिलाओं को इन सहकारी समितियो के बारे में ज्ञान नहीं है और न ही जानकारी करने के प्रति जागरुक है। उन्हे आवश्यकता है कि सही तौर पर सहकारी विकास कि नीतियों की जानकारी हेतु मार्गदर्शन एवं डिटिजल शिक्षा प्रशिक्षण, नेत्तृव क्षमता, उन्के अवैतनिक कार्य की मानता बढ़ाना, समय की कमी को दूर करने के साथ सहकारिता महिला–बाल विकास नीतियों के बारे में ज्ञान जागरूक करने में हम सब, सहकारी समितियों के कार्य व सलाहकारों की अहम भूमिका होगी, तभी महिलाएं सहकारी विकास समितियों के बारे में जागरूक हो सकेगी।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास को गति देने के लिये राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अपनाए गये विविध क्षेत्रों के दृष्टिकोणों में सामाजिक आर्थिक नीति कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के साथ गरीबी उन्मूलन, रोजगार संरचना, कौशल विकास योजनाएं, महिला सशक्तिकरण उद्यमों में लगे संसाधनों को एक जुट कर आर्थिक लक्ष्य को पूरा किया जाये, साथ ही इसमे ऐसे विकास की आवश्यकता है कि भविष्य में सहकारी विकास समितियों द्वारा निश्चित ही महिला विकास सतत स्तर पर आगे बढ़ेगा।

हालांकि, सहकारी समितियों को महिला विकास हेतु अभी विभिन्न मुददों की पहचान एवं समाधान खोजने की आवश्यकता है। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चत करने की आवश्यकता है। राज्य अधिक से अधिक सहकारी समितियों को उन क्षेत्रों में स्थापित करें जहाँ बड़े स्तर पर रोजगार महिलाओं को मिल सके। महिलाओं में पारम्परिक ज्ञान के बजाय स्वदेशी तकनीकी ज्ञान विकसित करने केसाथ जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है।

दलित महिलाओं की सहकारी समितियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, कौशल विकास, आसान ऋण उपलब्धता, और जाति–संवेदी नेतृत्व प्रशिक्षण सबसे प्रभावी उपाय हैं। जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इन रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए। बहु–राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2023 के तहत बोर्ड में महिलाओं के लिए अनिवार्य दो सीटों के आरक्षण को सभी राज्य–स्तरीय समितियों और प्राथमिक कृषि साख समितियों तक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इनमें दलित/वंचित वर्ग के लिए उचित उप–कोटा तय करना जरूरी है।

महिलाओं की सहकारी संस्थाओं (विशेषकर दलित और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदनी सहकार योजना जैसी योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाकर आसान शर्तों पर कार्यशील पूंजी और ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दलित महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने चाहिए। उन्हें वित्तीय प्रबंधन (फाइनेंशियल मैनेजमेंट), डिजिटल साक्षरता और विपणन (मार्केटिंग) का प्रशिक्षण देकर निर्णय लेने वाली अग्रणी भूमिकाओं में तैयार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण स्तर पर कृषि भूमि और अन्य संसाधनों पर दलित महिलाओं के सामूहिक अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए, ताकि वे कृषि, डेयरी और हथकरघा सहकारी समितियों में सक्रिय और स्वतंत्र उत्पादक के रूप में शामिल हो सकें। केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे सरकारी ई–मार्केटप्लेस,

ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और राज्य स्तरीय मेलों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें उनके काम का पूरा मुनाफा मिल सके।

कुल मिलाकर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। लिंग समानता को बढ़ावा देने, हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता पैदा करने, महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गुप्ता मोतीलाल (2019)। भारत में समाज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. परमार शुभ्रा (2015)। नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा॰ लि॰ हैदराबाद।
3. पूनम साहू, वासुदेव साहसी (2013)। महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिव्यूज़ एंड रिसर्च, 1(2): अक्टूबर–दिसंबर 2013, पृष्ठ 57–59।
4. सिंह गौरव (2013)। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं, आन्वीक्षिकी, 2013, पृष्ठ–64
5. जोशी गोपा (2011)। भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली।
6. श्रीवास्तव रागिनि (2011)। आधुनिक समाज एवं महिलाएं, इंदौर, 2011, पृष्ठ–21।
7. अंसारी एम.ए (2007)। महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007, पृष्ठ–224।
8. आचार्य सम्राटश्री देवेन्द्रमुनी (2006)। भारतीय वाङ्मय में नारी, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–24।
9. पांडेय करुणा (2008)। जाति वर्ग और महिला भेदभाव की नई दिशा, प्रथम संस्करण 2008, नेशनल परिलशिंग हाउस जयपुर, पृष्ठ–23
10. वर्मा सवलिया विहारी, पाण्डेय आभनारायण, (2004)। ग्रामीण विकास महिल्ना सशक्तिकरण, संस्करण 2004, प्रकाशन आविष्कार पटिलर्स डिस्ट्रोत्यूटर्स, जयपुर पृ.सं. 258
11. जिले की ऐतिहासिक विरासत व पहचान, पब्लिशिंग सम्वाद न्यूज कानपुर ब्यूरो अमर उजाला 16 सितम्बर, 2025
12. सहकारिता मंत्रालय। भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति और उनमें हो रहे बदलाव, PIB https//www.pib.gor.in
13. वाडकर सागर किसन (2023)। आर्थिक विकारन के लिये सहकारी उद्यमशीलता की मजबूत करना, पत्रिका योजना, अंक–7, जुलाई 2023, पृ.स–38
14. शर्मा, प्रेम नारायण, विनायक वाणी (2011)।, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, संस्करण 2011, प्रकाशक भारत बुक सेन्टर लखनऊ, पृ.सं. 115
15. शर्मा एस. (2021)। ग्रामीण भारत में सामाजिक न्याय और महिलाएं, पत्रिका, ग्रामीन विकास और सामाजिक न्याय 12 (3) 54–62.
16. सिंह निशान्त (2009)। भारतीय महिलाएं एक सामाजिक अध्ययन, ओ ओमेगा परिसकेशन्स, दिल्ली पृ.सं. 78
17. गुप्ता सुभाष चन्द्र (2005)। कार्यशील महिलाए एवं भारतीय समाज, संस्करण 2005, अर्जुन परिलशिंग के हाउस दरिया गंज दिल्ली पृ.सं. 153

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमारी, विमलेश एवं पाण्डेय, डॉ. रश्मि (2025)। सहकारी विकास के संदर्भ में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 35–39।